

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क्र.-531/2000

संस्थित दिनांक- 08.12.2000

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. गोवर्धन सिंह पुत्र छत्रसाल सिंह लोधी उम्र 68 साल
2. गब्बू पुत्र गोवर्धन सिंह लोधी उम्र 34 साल
निवासी ग्राम नयाखेडा तहसील चंदेरी
जिला- अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांकको घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 353/34, 353, 294, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.11.2000 को शाम चार बजे ग्राम नयाखेडा में मुख्यनगरपालिका अधिकारी चंदेरी अशोक शर्मा एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियों के द्वारा लोक सेवक के नाते लोक कर्तव्य के निर्वाहन में जप्त की गयी विद्युत मोटरों को नगरपालिका कार्यालय में लाने में व्यवधान उत्पन्न करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय की पूर्ति में जप्त शुदा विद्युत मोटरों को टैक्टर ट्रॉली से जबरन उतार कर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी चंदेरी एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियों को लोक कर्तव्य से निवारित करने के आशय से लाठी एवं लोहे की सबल लेकर जप्त शुदा विद्युत मोटर को बल पूर्वक टैक्टर ट्रॉली से उतार कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं लोक स्थान पर मां-बहन की अश्लील गालिया देकर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है वर्ष 2000 में चंदेरी कस्बे में पानी की कमी को देखते हुये जिलाधीश गुना द्वारा आदेश क्रमांक.क्यू/एस.सी.1/11-24/21/99/597-601 गुना दिनांक 14.11.2000 के द्वारा ग्राम नयाखेडा में इन्टेक बैल स्थित ओर नदी पर 10 किलो मीटर का क्षेत्र तथा किनारों पर 200-200 मीटर की दूरी पर घरेलू प्रयोजक का छोड़कर अन्य किसी प्रयोजक के लिये वर्षा ऋतु के आने तक जल स्रोत से जल के उपयोग का प्रतिषेध किया गया था। दिनांक 25.11.2000 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक शर्मा, व नगर पालिका कर्मचारी सुरेंद्र सिंह यादव, राजधर सिंह, रमेश साहू, इस्लाम खां के साथ विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री क0 के0 नशकर और उनके कर्मचारी

दयालसिंह, शहीद खां चंदेरी से नयाखेडा में स्थित इन्टेक बैल पर गये थे। जहां पर अभियुक्त गोवर्धन सिंह लोधी अपनी विद्युत मोटर से लगाये हुये था जिसे विधिवत कार्यवाही कर विद्युत मोटर पंप व पंखा को जप्त किया गया जिस पर ग्राम नयाखेडा का गोवर्धन गोधी व उसका लडका शब्बू लोधी वहा उपस्थिति सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से झगडा करने पर आमदा हो गये।

03— अभियुक्तगण ने नगरपालिका के टैक्टर ट्रॉली से मोटर उतारकर नगरपालिका कर्मियों से कहा कि हम देखते हैं कि हमारी मोटरें कैसे जप्त की जाती हैं, टैक्टर ट्रॉली में आग लगा देंगे तथा तुम सभी लोग यहा से जिंदा वापस नही पहुंच पाओगे और वह लोहे की सब्बल एवं लाठी लेकर उपस्थित सभी लोगों को मारने दौड़े, शासकीये कार्य में बाधा पहुंचाई इसके पश्चात बड़ी मुश्किल से फरियादी व अन्य कर्मचारीगण द्वारा जो विद्युत मोटर व पंखा जप्त कर उसे टैक्टर ट्रॉली में रखकर नगर पालिका चंदेरी लायें। फरियादी मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा द्वारा पुलिस थाना चंदेरी पहुंचकर अभियुक्तगण के विरुद्ध एक लिखित शिकायती आवेदन प्र0पी0 8 दिया था। उक्त आवेदन पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—409/2000 अंतर्गत धारा—353, 294, 506 बी, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.11.2000 को शाम चार बजे ग्राम नयाखेडा में मुख्यनगरपालिका अधिकारी चंदेरी अशोक शर्मा एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियों के द्वारा लोक सेवक के नाते लोक कर्तव्य के निर्वाहन में जप्त की गयी विद्युत मोटरों को नगरपालिका कार्यालय में लाने में व्यवधान उत्पन्न करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय की पूर्ति में जप्त शुदा विद्युत मोटरों को टैक्टर ट्रॉली से जबरन उतार कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
2.	क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी चंदेरी एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियों को लोक कर्तव्य से निवारित करने के आशय से लाठी एवं लोहे की सब्बल लेकर जप्त शुदा विद्युत मोटर को बल पूर्वक टैक्टर टॉली से उतार कर

	आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3.	क्या उक्त दिनांक समय व सार्वजनिक स्थान पर अभियुक्तगण ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी चंदेरी एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियों मां-बहन की अश्लील गालिया देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
4	क्या उक्त दिनांक समय व सार्वजनिक स्थान पर अभियुक्तगण ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी चंदेरी एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विवेचना एवं निष्कर्ष:—

- 06— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।
- 07— फरियादी मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा (अ0सा0—5) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि वर्ष 2000 एवं 2001 में वह मुख्य नगरपालिका अधिकारी चंदेरी में पदस्थ था, इस साक्षी के अनुसार तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा उस समय यह आदेश दिया गया था कि जल स्रातों के रक्षा की जावे एवं कलेक्टर के द्वारा पानी के दुरुपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया था। पानी की बचत को देखने के लिये वह घटना दिनांक को घटना स्थल ग्राम नयाखेडा स्थित नदी पर बने इनटैक बैल पर यह देखने गया था कि किसानों के द्वारा मोटर लगा कर पानी का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। इस साक्षी का कहना है कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा तो उसने किसानों के द्वारा मोटर लगाकर पानी का दुरुपयोग करते हुये देखा था, तथा जिन किसानों के द्वारा पानी का दुरुपयोग किया जा रहा था उनकी मोटर उसने जप्त की थीं।
- 08— मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा (अ0सा0—5) ने हालांकि अपने मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता है कि आरोपीगण की मोटर घटना स्थल से जप्त की गयी थी या नहीं तथा आरोपीगण से जप्ती गयी मोटरों के संबंध में उसने क्या कार्यवाही की थी, परन्तु इस साक्षी का यह कहना है कि दोनों आरोपीगण मोटर जप्ती के समय घटना स्थल पर उपस्थित थे और उन लोगों ने उसके व स्टाफ के साथ झगडा किया था और टैक्टर ट्रॉली में जप्त कर रखी गयी मोटर को छीनकर वापस ले ली तथा उनके साथ गाली-गलौच व उन्हें देख लेने की धमकी भी दी। फरियादी के अनुसार उसके साथ मौके पर सहायक यंत्री सतेंद्र सिंह (अ0सा0—6) भी गये थे तथा स्टाफ के अन्य लोग भी गये थे जिनके नाम उसे आज याद नहीं है क्योंकि घटना पुरानी है।

- 09— मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में हालांकि इस संबंध में अभियोजन के समर्थन में कथन नहीं दिये हैं कि वास्तव में उसके द्वारा अभियुक्तगण की मोटर मौके पर जप्त की गयी थी, परन्तु अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह स्पष्ट किया है कि स्पष्ट किया है कि कलेक्टर के द्वारा चंदेरी को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया था तथा कलेक्टर के आदेश अनुसार नदी के जल का विद्युत मोटर द्वारा दुरुपयोग किये जाने पर रोक लगायी थी और उक्त आदेश के पालन में ही वह नयाखेडा नदी पर कार्यवाही करने के लिये गया था मौके से उसके द्वारा मोटरें जो जप्त की गयी थीं, उसे आरोपीगण ने उनसे छीनकर वापस ले ली थी। अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं जिनमें कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं है तथा अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा थाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में दिये गये आवेदन प्र0पी0 8 में उल्लेखित घटना से भी होती है।
- 10— फरियादी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने हालांकि यह बताने में असमर्थता व्यक्त की है कि उसके साथ नगर पालिका के और कौन कौन कर्मि घटना दिनांक को नयाखेडा नदी पर कार्यवाही करने के लिये पहुँचे थे, परन्तु घटना दिनांक को सहायक यंत्री सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) मौके पर अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के साथ नयाखेडा नदी पर अवैध रूप से पानी का दुरुपयोग रोकने के लिये पहुँचे थे, इस संबंध में अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है। स्वयं सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) ने भी अपने कथनों में फरियादी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के कथनों की पुष्टि करते हुये यह व्यक्त किया है कि घटना नदी पर नगरपालिका के इनटैक बैल पर तगारी और आसपास के गावों की हैं, इस साक्षी का कहना है कि घटना के समय पानी की कमी के कारण नदी से पानी का दुरुपयोग करना कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, जिसके लिये वह अशोक शर्मा (अ0सा0-5) व अन्य स्टाफ के साथ घटना स्थल पर गया था। इस साक्षी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि घटना स्थल पर कई लोग नदी में पानी की मोटर लगा कर पानी का दुरुपयोग कर रहे थे और चूँकि जल का दुरुपयोग किया जाना प्रतिबंधित था इस कारण से घटना स्थल से विद्युत मोटरों को जप्त कर वह लोग टैक्टर ट्रॉली से मोटर ला रहे थे।
- 11— सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह स्पष्ट किया है कि घटना स्थल पर अभियुक्त गोवर्धन ने अपनी मोटर मना करने के बाद भी ट्रॉली से उतार ली थी और दोनों आरोपीगण अभद्रता कर रहे थे, इस साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने घटना स्थल पर ही मोटर वापस ले ली थी, जिसके बाद वह लोग वापस आ गये थे। सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) ने भी अपने उपरोक्त कथनों से फरियादी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा न्यायालय में बतायी गयी घटना की पुष्टि करते हुये अभियोजन घटना के समर्थन में कथन दिये हैं तथा इस साक्षी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों में भी कोई गंभीर विरोधाभास की स्थिति भी

नहीं है।

- 12— अभियोजन घटना के अन्य साक्षी राजधर सिंह (अ0सा0—1), रमेश चंद (अ0सा0—2) जो कि नगरपालिका के ही कर्मचारी हैं, के कथन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये हैं, जिनमें से राजधर सिंह (अ0सा0—1) हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में ही इस बात की पुष्टि की है कि वह सीएमओ और एसडीओ के साथ घटना दिनांक को शाम चार बजे नयाखेडा नदी पर मोटर खींचने गये थे जहां गांव के लोग सड़क पर लट्ट लेकर आ गये थे जिसके बाद वह लोग वहां से भाग गये थे। राजधर सिंह (अ0सा0—1) के द्वारा हालांकि पूरी तरह से अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया तथा अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत प्रतिपरीक्षण भी किया गया है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि साक्षी के पक्षविरोधी होने के बाद उसकी संपूर्ण साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है। पक्षविरोधी साक्षी की उतनी साक्ष्य जितनी की वह अभियोजन का समर्थन करती हो, पर विश्वास किया जा सकता है।
- 13— राजधर सिंह (अ0सा0—1) ने अपने न्यायालीन कथनों के माध्यम से घटना स्थल ग्राम नयाखेडा नदी पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा (अ0सा0—5) सहित अन्य नगरपालिका कर्मियों सहित स्वयं की उपस्थिति की पुष्टि की है तथा इस बात की भी पुष्टि की है कि नदी पर पानी का दुरुपयोग रोकने के लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा शाम चार बजे नयाखेडा पर पहुंच कर पानी की मोटरों की जप्ती की कार्यवाही करने के दौरान गांव के लोगों के द्वारा उक्त कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया गया। इसी प्रकार रमेश चंद (अ0सा0—2) ने भी अशोक शर्मा (अ0सा0—5) के कथनों की पुष्टि करते हुये यह कथन दिये है कि नगरपालिका सीएमओ व अन्य कर्मचारी के साथ वह लगभग नौ साल पहले शाम चार बजे नयाखेडा नदी प्लांट पर गया था तथा उनके साथ विद्युत कर्मचारी भी थे, जहां से मोटर उठाने की कार्यवाही करने के दौरान बहुत से आदमी आ गये थे। इस साक्षी ने इस बात की पुष्टि की है जब अभियुक्तगण की मोटर उठाने के लिये तत्कालीन सीएमओ पहुंचे तो अभियुक्तगण ने मोटर जप्ती की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर मोटर ट्रॉली में नहीं रखने दी और गाली-गलौच और बातावरण करने लगे थे। रमेश चंद (अ0सा0—2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन भी उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं।
- 14— अशोक शर्मा (अ0सा0—5) घटना दिनांक को कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के बाद नयाखेडा इनटैक बैल पर नदी से मोटर लगा कर पानी का दुरुपयोग रोकने के लिये अपने स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचे थे, और मौके पर पहुंच कर उनके द्वारा पानी का दुरुपयोग करने में उपयोग में लायी जा रही विद्युत मोटरों की जप्ती की कार्यवाही विधिवत अपने लोक कर्तव्य के निर्वाहन में की जा रही थी, इस संबंध में स्वयं अशोक शर्मा (अ0सा0—5) की साक्ष्य जहां अकाट्य व अखण्डित है वही अशोक शर्मा (अ0सा0—5) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि भी प्र0पी0 8 के आवेदन से होती है जिस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध

हुयी। अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों के समर्थन में सहायक यंत्री सतेन्द्र (अ0सा0-6) व पंप ऑपरेटर रमेश चंद (अ0सा0-2) ने कथन दिये हैं तथा घटना स्थल पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा की गयी, कार्यवाही की पुष्टि राजधर सिंह (अ0सा0-1) ने पक्षविरोधी होने के बाद भी की है। अतः अभिलेख पर इस आशय की अखण्डित साक्ष्य उपलब्ध है कि घटना दिनांक को शाम चार बजे कलेक्टर के आदेश के बाद नदी से जल का दुरुपयोग रोकने के लिये तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) अपने स्टाफ के साथ मौके पर गये थे और मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा पानी का दुरुपयोग करने में उपयोग में लायी जा रही मोटर की जप्ती की कार्यवाही की गयी थी, जिसमें अभियुक्तगण ने बाधा उत्पन्न की थी।

- 15- अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने हालांकि अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वास्तव में अभियुक्तगण की मोटर मौके से जप्ती की गयी थी या नहीं परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका पांच में यह कथन दिये है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा था तो आरोपीगण की मोटर चल रही थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका सात में यह स्पष्ट किया है कि उसने आरोपीगण की मोटर उठाकर उन्हें इस संबंध में रसीद भी दे दी थी। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका नौ में इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि जो मोटर आरोपीगण ने उससे छुटायी थी वह मोटर आरोपीगण की होना पाया गया था।
- 16- अतः अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने भले ही अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया हो की मौके से आरोपीगण की मोटर जप्ती की गयी थी परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट कथन दिये है कि आरोपीगण की मोटर मौके से जप्ती की गयी थी जिसे आरोपीगण ने छुड़ा लिया था। सतेन्द्र सिंह (अ0सा0-6) ने भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि मौके से आरोपीगण की मोटर जप्ती की गयी थी परन्तु इस साक्षी ने यह स्पष्ट कथन दिये है कि अभियुक्त गोवर्धन से ट्रॉली से मोटर उतार ली थी और दोनों आरोपीगण ने मौके पर उनके साथ अभद्रता भी की थी। रमेश चंद (अ0सा0-2) ने भी इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि अभियुक्तगण ने उन्हें मौके से मोटर नहीं उठाने दी थी ट्रॉली में मोटर नहीं रखने नहीं दी और बहस की थी व गाली-गलौच की थी।
- 17- अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य से घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति भी प्रमाणित होती है तथा इस संबंध में अभिलेख पर अखण्डित साक्ष्य उपलब्ध है कि दोनों अभियुक्तगण ने मौके पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा पानी का दुरुपयोग करने के लिये उपयोग में लायी जा रही विद्युत मोटर की जप्ती की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की और मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य नगरपालिका कर्मियों को विद्युत मोटर जप्त नहीं करने दी तथा उक्त कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की।

- 18— घटना दिनांक को मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा घटना स्थल पर पहुंच कर नदी में लगी हुयी मोटरों की जप्ती कार्यवाही की गयी थी, इसे स्वयं अभियुक्त गोवर्धन (व0सा0-1) ने अपने कथनों में स्वीकार किया है। अभियुक्त का अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह कहना है कि उसकी पानी की मोटर सन् 2000 में नदी पर लगी थी, जिससे लगी हुयी उसकी जमीन है तथा उसकी मोटर नगर पालिका कर्मि उठा कर ले आये थे। बचावपक्ष की ओर से अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका सात में स्वतः ही यह सुझाव दिया गया है कि आरोपीगण ने उसे मोटर नहीं लाने दी और मौके पर ही मोटर छुड़ा ली थी जिस पर अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा सहमति भी दी गयी थी। इसी साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका नौ में यह भी सुझाव दिया गया है कि आरोपीगण ने जप्ती की कार्यवाही के बाद मोटर छुड़ायी थी तथा आरोपीगण ने झुमाझटकी नहीं की थी केवल गालिया दी थी, जिस पर अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा सहमति दी गयी। इसी साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका दस में बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव भी दिया गया है कि आरोपीगण ने अवैधानिक कार्य करने से रोका था तो उसने व उसके स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसका खण्डन अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने अपने कथनों में किया है।
- 19— अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव से एवं अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा उन सुझाव पर दी गयी सहमति से स्वतः ही घटना स्थल पर घटना के समय अभियुक्तगण की उपस्थिति प्रमाणित होती है तथा यह भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा विद्युत मोटर जप्ती के दौरान की जा रही कार्यवाही में अभियुक्तगण ने बाधा उत्पन्न की थी। अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझाव से अभियुक्त गोवर्धन (व0सा0-1) के द्वारा न्यायालीन कथनों में ली गयी प्रतिरक्षा की मोटर जप्ती की कार्यवाही के समय अभियुक्तगण मौके पर नहीं थे तथा उन्होंने झगडा नहीं किया था, स्वतः ही खण्डित हो जाती है तथा संपूर्ण साक्ष्य से गोवर्धन (व0सा0-1) के द्वारा ली गयी प्रतिरक्षा पश्चात्वर्ती सोच पर आधारित प्रतीत होती है।
- 20— अभियुक्त गोवर्धन (व0सा0-1) ने अपने कथनों में यह व्यक्त किया है कि नदी से पानी लेने के लिये तहसीलदार चंदेरी के द्वारा सन् 1982 उसे प्र0डी0 1 की स्वीकृति प्रदान की थी तथा उसके पास सर्विस नंबर 1415 का वैद्य विद्युत कनेक्शन भी है जिसका अप्रैल 2016 का बिल प्रदर्श डी 2 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, अभियोजन की ओर से भी प्रकरण में प्रदर्श पी 6 का एम0पी0ई0बी के जूनियर इंजीनियर द्वारा थाना प्रभारी चंदेरी को लिखे गये पत्र की मूल प्रति प्रकरण में प्रस्तुत की है जिसमें जूनियर इंजीनियर द्वारा यह बताया गया है कि विद्युत कलेक्शन क्रमंक 1415 ग्राम नयाखेडा में नदी पर अभियुक्त गोवर्धन को पांच एच0पी0 को दिया गया वैद्य कनेक्शन हैं। अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने स्वयं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका पांच में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 6 के अनुसार अभियुक्त गोवर्धन को ओर नदी का पांच हॉसपॉवर का विद्युत कनेक्शन दिया गया।

- 21— यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त पर विद्युत चोरी के कोई आरोप नहीं है बल्कि विद्युत चोरी का वैद्य कनेक्शन होने के बाद भी उक्त कनेक्शन से कलेक्टर के प्रतिबंध लगाने के बाद भी नदी में विद्युत मोटर लगाकर पानी का उपयोग करने तथा उक्त कृत्य को रोकने के लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा कि जा रही कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के आरोप अभियुक्त पर हैं। अतः ऐसे में अभियुक्त के पास निश्चित रूप से ओर नदी पर बैद्य विद्युत कनेक्शन होना अभिलेख पर आयी साक्ष्य से प्रमाणित है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में यह देखा जाना है कि अभियुक्त के द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा लोक कर्तव्य के निर्वाहन में किये जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिये आपराधिक बल प्रयोग अथवा किया गया अथवा नहीं ?
- 22— बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श डी 1 का दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किया गया जो कि अभियुक्त गोवर्धन को नयाखेडा स्थित भूमि की सिंचाई के लिये पाईप लाइन से पानी निकालने की अनुमति हैं उक्त अनुमति का आदेश वर्ष 1982 का है। अशोक शर्मा (अ0सा0-5) सहित सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि वर्ष 2000 में कलेक्टर द्वारा नदी से पानी पेयजल को छोड़कर, अन्य कार्य के लिये पानी निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। कलेक्टर के द्वारा उक्त प्रतिबंध लगाया गया, इस संबंध में मात्र अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका चार में बचाव पक्ष की ओर से खण्डन में एक मात्र सुझाव यह दिया गया है कि ऐसा कोई आदेश घटना दिनांक पर नहीं था। प्रतिरक्षा में दिये गये उपरोक्त सुझाव का खण्डन अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के स्वयं के द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्र0पी0 5 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जिसमें कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक क्यू/एस.सी.1/11-24/21/99/597-601 गुना दिनांक 14.11.2000 का उल्लेख हैं। जिसके द्वारा ओर नदी का पानी पेयजल से अन्यथा उपयोग में लाये जाने के लिये प्रतिबंधित किया गया। उक्त आदेश की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी 9 अभियोजन की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है।
- 23— बचाव पक्ष की ओर से सुझाव के अलावा खण्डन में ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि जो यह दर्शित करती हो कि वर्ष 1982 में प्र0डी0 1 के अनुसार अभियुक्त गोवर्धन को दी गयी अनुमति वर्ष 2000 तक कलेक्टर गुना के द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेश के समय तक व उसके बाद भी वैद्य थी। बचाव पक्ष की ओर से खण्डन में ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जो यह दर्शित करती हो कि कलेक्टर के द्वारा प्र0पी0 9 का कोई आदेश पारित नहीं किया गया जबकि तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा पारित किया गया आदेश प्र0पी0 9 एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा की गयी कार्यवाही लोक सेवक के नाते लोक कर्तव्यों के निर्वाहन में की गयी कार्यवाही जिसके सही होने की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा **114 (ड)** के तहत की जावेगी। उक्त उपधारणा को खण्डित करने के लिये बचाव पक्ष की ओर से अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

- 24— हालांकि अभियोजन साक्षी इस्लाम खां (अ0सा0-7) जप्ती के साक्षी सुरेद्र सिंह (अ0सा0-8) व जब्बार (अ0सा0-9) एवं घटना के साक्षी दयाली केवट (अ0सा0-10) नक्शा मौका के साक्षी सुरेद्र सिंह (अ0सा0-11) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया तथा अभियोजन के द्वारा इन साक्षियों को पक्षविरोधी किये जाने के बाद भी इन साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये हैं, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि किसी भी तथ्य को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों की संख्या के अपेक्षा साक्ष्य की गुणवत्ता देखी जानी है मात्र उपरोक्त साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण संपूर्ण अभियोजन कहानी व अन्य साक्षियों के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 25— अशोक शर्मा (अ0सा0-5) व सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) सहित रमेश चंद (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि कलेक्टर के द्वारा लगाया गये प्रतिबंध के बाद वह पानी का दुरुपयोग रोकने के लिये इनटैक बैल स्थित ओर नदी नयाखेडा पर पहुँचे थे जहाँ पर अभियुक्तगण ने पानी की मोटर की जप्ती की कार्यवाही के दौरान विवाद किया था तथा उन लोगों को पानी की मोटर जप्त नहीं करने दी। प्रकरण में जप्ती पत्रक प्र0पी0 3 के अनुसार जप्त की गयी मोटर मौके से जप्त होकर अभियुक्त की है। इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है तथा उक्त मोटर अभियुक्त गोवर्धन के द्वारा न्यायालय से सुपुर्दगी पर प्राप्त की गयी हैं। स्वयं अभियुक्त गोवर्धन (व0सा0-1) ने उक्त मोटर घटना स्थल से जप्त किया जाना स्वीकार किया है। उक्त मोटर पुलिस के द्वारा नगरपालिका अधिकारी से प्र0पी0 3 के अनुसार जप्त की गयी, इस संबंध में अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने स्पष्ट कथन दिये हैं तथा जप्ती पत्रक प्र0पी0 3 पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किये हैं। जप्ती कर्ता अधिकारी बैजनाथ सिंह (अ0सा0-3) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है उनके द्वारा फरियादी अशोक शर्मा से पांच एच पी की मोटर प्र0पी0 3 के जप्ती पत्रक के अनुसार जप्त की गयी थी।
- 26— अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य से घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति प्रमाणित है तथा अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा घटना दिनांक को अभियुक्तगण की मोटर मौके से सीज कर उसे उपनिरीक्षक बैजनाथ (अ0सा0-3) को जप्ती में प्र0पी0 3 के अनुसार प्रदान की गयी थी। अशोक शर्मा (अ0सा0-5) की प्रतिपरीक्षण की कण्डिका सात में बचाव पक्ष की ओर से इस बात को चुनौती दी गयी है कि पुलिस द्वारा प्र0पी0 3 की जप्ती की कार्यवाही 17 दिन बाद की गयी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 8 का आवेदन फरियादी के द्वारा थाने पर घटना दिनांक को ही दिया गया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 तत्कालीन प्रधान आरक्षक राम किशन (अ0सा0-12) के द्वारा लेखबद्ध की गयी थी जिसकी पुष्टि स्वयं रामकिशन (अ0सा0-12) ने अपने कथनों में की है अतः घटना के बाद तत्पर्यता से बिना किसी बिलंब के प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 13 लेखबद्ध की गयी। घटना दिनांक को ही फरियादी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा मौके से अभियुक्तगण की विद्युत मोटर जप्त की गयी, इस तथ्य को स्वयं अभियुक्त गोवर्धन ने अपने न्यायालीन कथनों में स्वीकार किया है।

- 27— घटना दिनांक को अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा की गयी उपरोक्त कार्यवाही के समय अभियुक्तगण मौके पर उपस्थित थे तथा उन्होंने अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा की जा रही कार्यवाही का प्रतिरोध कि इस संबंध में अशोक शर्मा (अ0सा0-5), सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) व रमेश चंद (अ0सा0-2) की साक्ष्य स्पष्ट और अखण्डित हैं। अशोक शर्मा (अ0सा0-5) एवं रमेश चंद (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में ही यह स्पष्ट किया है कि उक्त कार्यवाही से पूर्व उनके द्वारा कलेक्टर द्वारा लगाये गये प्रतिबंध की मुनादी ध्वनि विस्तारक यंत्र से करायी गयी थी, परन्तु इसके बाद भी मौके पर उनके द्वारा आरोपीगण की मोटर चलती हुयी पायी गयी। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका सात में बचावपक्ष के सुझाव पर अशोक शर्मा (अ0सा0-5) ने यह स्पष्ट कथन दिये है कि आरोपीगण ने मोटर लाने नहीं दी थी और मौके पर मोटर छुड़ा ली थी तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका आठ में इस साक्षी का यह स्पष्ट कहना है कि पुलिस के माध्यम से घटना स्थल से मोटर जप्त की गयी थी जो बाद में लाबारिस मिली थी। सतेन्द्र सिंह (अ0सा0-6) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका पांच में कि अभियुक्त गोवर्धन ने उन्हें मोटर नहीं ले जाने दी थी तथा मोटर उतार ली थी तथा बाद में मोटर जप्त की गयी थी। घटना स्थल से मोटर घटना के समय ही जप्त की गयी थी या बाद में जप्ती बनायी गयी इस संबंध में निश्चित रूप से साक्षियों के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है परन्तु घटना के लगभग 16 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद साक्षियों के कथनों में उक्त विरोधाभास आना स्वाभाविक है जो कि तात्विक स्वरूप का नहीं है।
- 28— अशोक शर्मा (अ0सा0-5) घटना दिनांक को मुख्य नगरपालिका अधिकारी चंदेरी होकर लोक सेवक था, इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है और इस तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से कोई विशेष चुनौती नहीं दी गयी है। कलेक्टर गुना द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) मय सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) एवं अन्य नगरपालिका कर्मी एवं विद्युत कर्मी ने घटना स्थल पर पहुंच कर अभियुक्त की नदी में लगी हुयी, विद्युत मोटर जप्ती की कार्यवाही की गयी थी, इस संबंध में अशोक शर्मा (अ0सा0-5) सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) व रमेश चंद (अ0सा0-2) की साक्ष्य अखण्डित हैं, और पूरी तरह से विश्वसनीय प्रतीत होती है। घटना स्थल पर अभियुक्तगण ने उनकी विद्युत मोटर जप्ती की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की तथा अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा जप्त की जा रही मोटर को टॉली से उतार लिया था, इस संबंध में भी अशोक शर्मा (अ0सा0-5), सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) व रमेश चंद (अ0सा0-2) की साक्ष्य अखण्डित है, वहीं बचावपक्ष के द्वारा अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के प्रतिपरीक्षण में स्वतः ही यह सुझाव दिये गये है कि अभियुक्तगण ने मौके पर फरियादी के साथ गाली-गलौच की थी जिससे मौके पर अभियुक्तगण की उपस्थिति एवं उनके द्वारा अशोक शर्मा (अ0सा0-5) के द्वारा मौके पर की जा रही कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने का तथ्य प्रमाणित होता है।
- 29— घटना स्थल पर अभियुक्तगण हथियारों से सुसज्जित थे इस संबंध में फरियादी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) सहित सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) ने कोई कथन नहीं दिये, वही सतेंद्र सिंह (अ0सा0-6) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका तीन में यह कहना है कि अभियुक्तगण लोहे

की लाठी और सबल लेकर आमादा हो गये थे, उसे यह याद नहीं है अतः ऐसे में अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से ही फरियादी के द्वारा लोक कर्तव्य के निर्वाहन में किये जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करने का सामान्य आशय निर्मित था, यह अभिलेख पर आयी साक्ष्य से निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं होता है परन्तु घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति एवं फरियादी अशोक शर्मा के द्वारा लोक कर्तव्य के निर्वाहन में की जा रही मोटर जप्ती की कार्यवाही में अभियुक्तगण ने बाधा उत्पन्न की एवं जप्त की गयी मोटर को टॉली से उतार लिया था इस संबंध में अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से एवं बचावपक्ष के द्वारा साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझाव से कोई संशय की स्थिति नहीं रह जाती है।

- 30— फल स्वरूप अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक 25.01.2000 को शाम चार बजे फरियादी अशोक शर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ होकर लोक सेवक था और उसके द्वारा लोक सेवक होने के नाते कलेक्टर गुना के द्वारा जारी किये गये प्रतिबंध के पालन में घटना स्थल ग्राम नयाखेडा पर पहुंचकर पानी का दुरुपयोग कर रहे पम्प की जप्ती की कार्यवाही करने का कार्य, लोक कर्तव्य के निर्वाहन में किया गया कार्य था और उक्त कार्य करने से अभियुक्तगण ने सआशय फरियादी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) को उनके द्वारा मौके पर से जप्त की जा रही उनकी विद्युत मोटर को ले जाने से रोककर एवं उसे टॉली से उतार कर अशोक शर्मा (अ0सा0-5) सहित अन्य नगरपालिका कर्मियों को उनके कर्तव्य के निर्वाहन से निवारित कर शासकीय कार्य में बाधा डाली एवं आपराधिक बल का प्रयोग भी किया।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3, 4 व 5 का विवेचना एवं निष्कर्ष:-

- 31— फरियादी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) का कहना है कि आरोपीगण ने मौके पर उनके साथ गाली गलौच की थी और देख लेने की धमकी दी थी। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में आरोपीगण के द्वारा गाली दिया जाना इस साक्षी ने बताया है, वही सतेद्र सिंह (अ0सा0-6) का कहना है कि आरोपीगण ने मौके पर अभद्रता की थी परन्तु किस प्रकार की अभद्रता की थी, इस संबंध में साक्षी ने कोई कथन नहीं दिये हैं। रमेश चंद (अ0सा0-2) ने भी अपने कथनों में बतावरण होना एवं गाली-गलौच होना के संबंध में कथन अवश्य दिये हैं परन्तु यह उल्लेखनीय है कि अशोक शर्मा (अ0सा0-5) सहित सतेद्र सिंह असा 6 एवं रमेश चंद (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में यह कही भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस अभियुक्त ने उन्हें कौन सी गालिया दी तथा गालियों में कौन से शब्द उच्चारित किये। अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्तगण के कृत्य से फरियादी या अन्य को कोई क्षोभ कारित हुआ हो।
- 32— फरियादी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) का अपने कथनों में यह कहना है कि अभियुक्तगण ने उसे देख लेने की धमकी दी थी परन्तु अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी तथा उक्त धमकी देने का आशय संत्राष कारित करने का आशय था ऐसा कही भी फरियादी अशोक शर्मा (अ0सा0-5) सहित अन्य साक्षियों के कथनों से साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता है। यदि फरियादी एवं अन्य को अभियुक्तगण द्वारा दी गयी गालियों से क्षोभ

कारित होना प्रमाणित नहीं हैं तो ऐसे में यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्तगण ने मां बहन की गालियां दी थी तब भी उक्त कृत्य भादवि की धारा 294 की परधि में नहीं आता है। फरियादी ने घटना दिनांक को ही पुलिस थाना चंदेरी में पहुंचकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी एवं फरियादी को अभियुक्तगण से या उनके द्वारा देख लेने की धमकी से कोई संत्रास कारित हुआ यह भी अभिलेख पर आयी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है। अतः ऐसे में अभिलेख पर आयी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध भादवि की धारा 294, 506बी के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

33— किसी भी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। वर्तमान प्रकरण में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भले ही यह प्रमाणित न होता हो कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को लोक स्थान पर फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा उनके मध्य पूर्व से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कोई सामान्य आशय था, परन्तु अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है कि दिनांक 25.11.2000 को शाम चार बजे ग्राम नयाखेडा में अभियुक्तगण ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी चंदेरी एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियों को लोक कर्तव्य से निवारित करने के आशय से अभियुक्तगण ने जप्त शुदा विद्युत मोटर को बल पूर्वक टैक्टर टॉली से उतार कर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

34— फलतः अभियुक्तगण गोवर्धन सिंह पुत्र छत्रसाल सिंह लोधी एवं गब्बू पुत्र गोवर्धन सिंह लोधी को भादवि की धारा 294, 506बी, 353/34 के तहत दण्डनीय अपराध के अपराध से दोष मुक्त घोषित किया जाता है तथा अभियुक्तगण गोवर्धन सिंह पुत्र छत्रसाल सिंह लोधी एवं गब्बू पुत्र गोवर्धन सिंह लोधी के विरुद्ध भादवि की धारा 353 के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भादवि की धारा 353 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

35— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

36— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का गंभीर अपराध किया गया है, जिससे अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्तगण सहानुभूति के पात्र नहीं हैं चूंकि प्रकरण को 17 वर्ष हो चुके हैं और इतनी लंबी अवधि में अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं उसको देखते हुये एवं प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्तगण गोवर्धन सिंह पुत्र छत्रसाल सिंह लोधी एवं गब्बू पुत्र गोवर्धन सिंह लोधी को भा0दं0वि0 की धारा 353 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप प्रत्येक अभियुक्त को 6-6 माह (छः-छः माह) के सश्रम कारावास एवं 500-500/- रुपये (पांच-पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस (पन्द्रह दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।

37— अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है सुपुर्दनामा बाद मायद अपील भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)